


कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-नारायणपुर(छ.ग.)

कलेक्टर परिसर नारायणपुर कक्ष क्र. 82

फोन : 07781-252906, फैक्स : 07781-252906,

ई-मेल :- adhnarayanpur@gmail.com, hort-narayanpur.cg@gov.in



क्र./उद्यान/स्था./2020-21/

442


नारायणपुर दिनांक 25/6/2020

वाहन विक्रय हेतु निविदा

कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला नारायणपुर द्वारा वाहन का अपलेखन उपरांत विक्रय "जहां है जैसा है" के आधार पर सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 01.07.2020 तक स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन समय 10.30 से 4.00 बजे तक दे सकते है :-

क्र.	वाहन क्र./ प्रकार	माडल वर्ष	आपसेट मूल्य
1	सीपीजेड 5926 एचएमटी ट्रेक्टर	1985-86	9000.00
2	सीपीजेड 6450 जीप	1985-86	8000.00

अन्य नियम व शर्ते निविदा प्रपत्र मं उपलब्ध है। निविदा कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला नारायणपुर से प्राप्त कर सकते है। तथा अन्य जानकारी हेतु narayanpur.gov.in में देखा जा सकता है।



प्र.सहायक संचालक उद्यान
जिला नारायणपुर(छ.ग.)

मुख्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला-नारायणपुर(छ.ग.)

कलेक्टर परिसर नारायणपुर कक्ष क्र. 82

फोन : 07781-252906, फैक्स : 07781-252906.

ई-मेल :- adhnarayanpur@gmail.com, horti-narayanpur.cg@gov.in



445

पुराने वाहनो के विक्रय हेतु निविदा शर्ते

नियम मुख्यालय में उपलब्ध 02 पुरानी वाहन के विक्रय हेतु "जंहा है जैसा है" के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	वाहन क्र./ प्रकार	माडल वर्ष
1	सीपीजेड 5926 एचएमटी ट्रेक्टर	1985-86
2	सीपीजेड 6450 जीप	1985-86

निविदा की शर्ते :-

1. वाहन जहां है जैसा है के आधार पर विक्रय किया जावेगा।
2. वाहन क्रय हेतु निविदा दरें मुख्यालय में दिनांक 01.07.2020 के शाम 4.00 बजे तक बंद लिफाफे में लेटरपैड में निविदा प्राप्त की जावेगी एवं उक्त दिनांक को ही शाम 5.00 बजे निविदा खोली जावेगी।
3. निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक निविदाकार को रू. 1500.00 रू. अमानत राशि का संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छ.ग. रायपुर के नाम से डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को स्वयं के व्यय से वाहन की डिलवरी एक सप्ताह के अंदर लेना होगा। अन्यथा निविदाकार की जमा अमानत राशि राजसात योग्य होगी।
5. वाहन लेने के पूर्व मूल्य की राशि ड्राफ्ट के रूप में जमा कर निर्धारित विक्रयनामा हस्ताक्षर होने के उपरांत वाहन की डिलवरी क्रैंता को दी जावेगी।
6. किसी भी निविदा को स्वीकृत /अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।

प्र.सहायक संचालक उद्यान
जिला नारायणपुर(छ.ग.)